सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यपरिषद् की आपात बैठक

दिनांक : 27.03.2018
समय : अपराह्ण 2:30 बजे से
स्थान : योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1- प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे, कुलपति- अध्यक्ष

2-	प्रो॰ सदानन्द शुक्ल	3-	प्रो॰ हरिप्रसाद अधिकारी
4-	प्रो॰ राजनाथ	5-	डा॰ विजय कुमार पाण्डेय
6-	डा॰ विद्या कुमारी चन्द्रा	7-	डा॰ सूर्यकान्त
8-	वित्त अधिकारी	9-	कुलसचिव - सचिव

मंगलाचरण- प्रो॰ हरि प्रसाद अधिकारी

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -1- माननीय राज्य सूचना आयुक्त, उ॰प्र॰ द्वारा दिये निर्देश के अनुपालन में जनसूचना अधिनियम के अंतर्गत श्री सोमेश तिवारी को पाण्डुलिपि की छायाप्रति प्राप्त कराने के संदर्भ में।

कार्यपरिषद् को कुलसचिव ने अवगत कराया कि जनसूचना अधिनियम के अंतर्गत श्री सोमेश तिवारी को पाण्डुलिपि की छाया प्रति प्राप्त कराने के संदर्भ में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.08.2017 में अधोलिखित निर्णय लिया गया था-

''श्री सोमेश तिवारी को यह अवगत कराया जाय कि वे सम्बन्धित पाण्डुलिपि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली की वेबसाइट पर देखले। साथ ही श्री सोमेश तिवारी को पाण्डुलिपि की फोटो प्रति प्राप्त करने के संदर्भ में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2005 के निर्णय के साथ पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।

भविष्य में पाण्डुलिपि की फोटो प्रति देने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2005 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।''

कार्यपरिषद् के उपर्युक्त निर्णय से प्रत्यावेदक श्री सोमेश तिवारी को अवगत करा दिया गया था। उक्त के संदर्भ में कुलसचिव ने परिषद् को यह भी अवगत कराया कि वे सम्बन्धित प्रकरण के संदर्भ में दिनांक 28.12.2017 को वे माननीय राज्य सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे। मा॰ आयुक्त महोदय ने उपर्युक्त प्रकरण पर निर्देश दिया कि श्री सोमेश तिवारी को वांछित सूचनाओं की (Hard copy) दो माह से पूर्व विश्वविद्यालय प्रदान कर दे। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि उस अधिकारी/प्राधिकारी का नाम भी बताया जाय जिनके वजह से यह सूचना नही प्रदान किया गया है।

मा॰ राज्य सूचना आयोग ने उक्त प्रकरण पर दिनांक 26.02.2018 को पुनः यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा इस प्रकरण में सुनवाई हेतु निर्धारित की गयी अगली बैठक दिनांक 16.04.2018 से पूर्व प्रकरण को कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करते हुए प्रत्यावेदक श्री सोमेश तिवारी को पाण्डुलिपियों की वांछित छायाप्रतियां प्रदान की जाय।

प्रकरण पर गम्भीरतापूर्वक विचार के क्रम में कार्यपरिषद् को कुलसचिव ने अपना यह मत भी प्रकट किया कि-

या तो इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली की वेबसाइट से वांछित पाण्डुलिपियों की छाया प्रति प्राप्त कर उन्हे उपलब्ध करा दिया जाय।

अथवा

कार्य परिषद् दिनांक 06.08.2017 के निर्णय पर पुर्नविचार कर लिया जाय़ क्योकि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् भारत की संसद द्वारा पारित आर॰टी॰आई॰ एक्ट-2005 के प्राविधानों को उल्लंघन नही कर सकती।

कुलसचिव के उपर्युक्त मत एवं प्रकरण के अन्य बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन पुस्तकालय में राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित पाण्डुलिपियों की महत्ता को दृष्टि में रखते हुए **''पाण्डुलिपियों की फोटो प्रति देने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2005 में लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।''**

श्री सोमेश तिवारी को यह अवगत कराया जाय कि वे विश्वविद्यालय के किसी कार्य दिवस में पुस्तकालय में आकर पाण्डुलिपि का अध्ययन कर सकते है, परन्तु सम्बन्धित पाण्डुलिपियों की फोटो प्रति प्राप्त करने के लिए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2005 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

कार्यक्रम संख्या-2- वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.03.2018 में की गयी संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.03.2018 में की गयी अधोलिखित संस्तुतियों को प्रस्तुत की गयी-

वित्त समिति की बैठक

दिनांक : 20.03.2018
समय : पूर्वाह्न 11.30 बजे
स्थान : कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति

(1)	प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, कुलपति	–	अध्यक्ष
(2)	श्री अरूण कुमार सिंह अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, वाराणसी प्रतिनिधि विशेष सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	–	सदस्य
(3)	श्री ए•के• द्विवेदी वित्त अधिकारी	–	सदस्य–सचिव
(4)	श्री प्रभाष द्विवेदी कुलसचिव	–	सदस्य
(5)	श्री राजनाथ परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य

कार्यवृत्त

कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम संख्या 1–	वित्त समिति की विगत बैठक दि• 05.12.2017 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि तथा कृत कार्यवाही की सूचना ।
प्रस्तुत प्रस्ताव–	वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 05.12.2017 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है। विगत कार्यविवरण की सम्पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव।
निर्णय	वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 05.12.2017 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि की गयी।
कार्यक्रम संख्या 2–	पुनरीक्षित आय–व्यय वर्ष 2017–2018 एवं आय–व्यय अनुमान वर्ष 2018–19 पारित किये जाने पर विचार। (वास्तविक आय–व्यय वर्ष 2016–17 इसमें शामिल रहेगा।)
प्रस्तुत प्रस्ताव –	अपरिहार्य कारणो से पुनरीक्षित आय–व्यय वर्ष 2017–2018 एवं आय–व्यय अनुमान वर्ष 2018–19 तैयार नही हो सका है। 2018–19 के व्ययो को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2017–18 के आधार पर 01.04.2018 से 30.06.18 तक का व्यय विवरण अधोलिखित प्रस्तुत है –

ब्लाक ग्रान्ट हेतु विभिन्न मदों की स्थिति शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार

क्र॰सं॰	व्यय की मदें	वर्ष 2017. 2018 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2018.2019 1.04.18 से 30.06.18 तक अनुमानित व्यय
1	2	3	4
	समूह (क)		
1.	वेतन व (प्रतिनिधायन भत्ता पेंशन एवं अवकाश अंशदान)	23,75,09,180	5,93,77,295
2.	ग्रेड वेतन		
3.	मॅंहगाई भत्ता	8,95,03,701	2,23,75,925
4.	अन्य भत्ता	1,48,23,923	37,05,980
5.	बोनस	25,00,000	25,00,000
6.	अंषकालिक अध्यापकों का मानदेय	0	
7.	सरकारी अधिकारियों के पेंषन एवं अवकाष वेतन	3,00,000	3,00,000
8.	भविष्य निधि में वि॰वि॰ अंशदान	4,79,244	1,19,811
	योग	**34,51,16,048**	**8,62,79,011**
	समूह (ख)		
1.	मानदेय		
2.	यात्रा व्यय	12,50,000	3,12,500
3.	दूरभाष	2,00,000	50,000
4.	वाहनों पर व्यय (पेट्रोल, डीजल आदि)	2,00,000	50,000
5.	किराये के वाहन पर व्यय	2,00,000	50,000
6.	कार्यालयीय व्यय (जेनरेटर डीजल आदि)	1,78,59,500	44,64,875
	योग	**1,97,09,500**	**49,27,375**

क्र॰सं॰	व्यय की मदें	वर्ष 2017. 2018 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2018.2019 1.04.18 से 30.06.18 तक अनुमानित व्यय
1	2	3	4
	समूह (ग)		
1.	परीक्षा संचालन	3,32,86,000	83,21,500
2.	मुद्रण	43,00,000	10,75,000
3	प्रकाषन	30,00,000	7,50,000
	योग	**4,05,86,000**	**1,01,46,500**
	समूह (घ)		
1.	उपकरण एवं साज–सज्जा	2,00,000	50,000
2.	फर्नीचर	2,00,000	50,000
3.	कम्प्यूटर/फोटो कापियर	3,00,000	75,000
4.	सेवा संविदा पर आधारित सुरक्षा/स्वच्छता कर्मियों की सेवा पर व्यय	--	
	योग	**7,00,000**	**1,75,000**
	समूह (ड॰)		
1.	छात्रवृत्ति/वर्सरी	1,00,000	25,000
2.	शुल्क वापसी	20,000	5,000
3.	सदस्यता शुल्क (विष्वविद्यालय संघ चन्दा)	50,000	12,500
4.	कुलपति का विवेकाधीन कोष	1,00,000	25,000
5.	डेलीगेसी	1,000	250
6.	खेलकूद	0	0
7.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर व्यय	3,50,000	87,500
	योग	**6,21,000**	**1,55,250**
	समूह (च)		
1.	अन्य व्यय (संकायो के प्रासंगिक व्यय)	13,19,000	3,29,750
2.	विविध व्यय (दीक्षान्त आदि)	28,51,000	7,12,750
3.	बीमा प्रीमियम	60,000	60,000
4.	संग्रहालय (संगोष्ठी आदि)	10,000	2,500
	योग	**42,40,000**	**10,60,000**

क्र•सं•	व्यय की मदें	वर्ष 2017.2018 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2018.2019 1ण04ण18 से 30ण06ण18 तक अनुमानित व्यय
1	2	3	4
	समूह (छ)		
1.	भविष्य निधि अंषदान	**50,000**	**12,500**
2.	भविष्य निधि पर ब्याज	**--**	
3.	सम्परीक्षा शुल्क एवं तुलन पत्र तथा आय–व्ययक निर्माण	71,50,000	71,50,000
	योग	**72,00,000**	**18,00,000**
	समूह (ज)		
1.	प्रयोगषाला	5,000	1,250
2.	पुस्तकालय	5,72,000	1,43,000
3.	वार्षिक अनुरक्षण/लघुकार्य	37,12,000	9,28,000
4.	विविध फर्मो के मुद्रण की आय पर देय वाणिज्य कर	50,000	0
5.	उ•प्र• उच्च शिक्षा परिषद को चंदा	5,00,000	5,00,000
	योग	**48,39,000**	**12,09,750**
	महायोग	**42,30,11,548**	**10,57,52,886**

उपरोक्त विवरण के अनुसार 01.04.2018 से 30.06.18 तक रू• 10,57,52,886/– व्यय हेतु पारित करने का प्रस्ताव है।

निर्णय– प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार 01.04.2018 से 30.06.18 तक रू• 10,57,52,886/– व्यय किये जाने पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 3– श्री नन्द जी प्रसाद, वरिष्ठ आन्तरिक सम्परीक्षक को अवकाश वेतन अंशदान तथा पेंशन अंशदान को भुगतान किया जाना है इसके लिए वेतन अंशदान रू• 5,00,000/– तथा पेंशन अंशदान रू• 15,00,000/– पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव – श्री नन्दजी प्रसाद, वरिष्ठ आन्तरिक सम्परीक्षक द्वारा दिनांक 28.08.2014 से 30.08. 2015 तक पुनरीक्षित वेतन के अन्तर पर एवं दिनांक 01.09.2015 से अद्यतन वेतन आधार पर पेंशन अंशदान एवं अवकाश वेतन अंशदान की धनराशि सहायक निदेशक लेखा (मुख्यालय) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया है। आगणन के अनुसार वेतन अंशदान रू• 2,33,375/– तथा पेंशन अंशदान रू• 10,51,661/– होती है। अतएवं वर्तमान वित्तिय वर्ष 2017–18 में रू• 3,00,000/– के स्थान पर रू• 5,00,000/– तथा पेंशन अंशदान रू• 15,00,000/– पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय– प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 4– लेखन साम्रगी व्यय मद रू• 2,50,000/– के स्थान पर रू• 5,00,000/– पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव – कुलसचिव द्वारा प्रसारित संख्या 1229/17 दिनांक 18.09.2017 द्वारा रू• 77,500/– की स्टेशनरी सम्बन्धित साम्रगी की आपूर्ति करने का क्रयादेश जारी किया गया। फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी। इसी प्रकार कुलसचिव द्वारा प्रसारित संख्या 1228/17 दिनांक 18.09.2017 द्वारा रू• 30,000/– की आपूर्ति करने का क्रयादेश जारी किया गया। फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी। समिति को अवगत कराना है कि लेखन साम्रगी क्रय मद में रू• 2,50,000/– प्राविधानित है जिसके सापेक्ष रू• 2,11,190/– व्यय हो चुका है। कतिपय अन्य देयक भी प्राप्त हुए है अतएवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लेखन सामग्री क्रय मद को रू• 2,50,000/– के स्थान पर रू• 5,00,000/– किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल बजटीय प्रावधान की सीमा के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 5– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।

(क) दीक्षांत व्यय मद में रू• 20,00,000/– का प्राविधान किया गया है। अद्यतन व्यय रू• 19,40,865/– हो चुका है। कतिपय देयक भुगतान हेतु प्राप्त हुए है। अतएवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए रू• 20,00,000/– के स्थान पर रू• 23,00,000/– पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) परीक्षा व्यय मद के लिए रू• 90,00,000/– का प्राविधान किया गया है। विगत वर्ष के अवशेष देयको का भुगतान होने के कारण अद्यतन व्यय रू• 90,69,998/– हो चुका है। केन्द्र व्यय का लगभग रू• 15,00,000/– तथा परीक्षा विभागीय कार्य के लिए अन्य व्यय रू• 10,00,000/– कुल रू• 25,00,000/– की आवश्यकता है। अतएवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए रू• 90,00,000/– के स्थान पर रू• 1,15,00,000/– पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) वार्षिक अनुरक्षण मद में रू• 30,00,000/– का प्राविधान किया गया है। जिसमें सम्पत्ति कार्यालय के लिए रू• 5,00,000/– तथा निर्माण विभाग के कार्यो के लिए रू• 25,00,000/– शामिल है। निर्माण विभाग के कार्यो के लिए पूर्व में रू• 25,00,000/– के अतिरिक्त रू• 7,02,000/– की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सम्पत्ति कार्यालय के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू• 42,000/– का अतिरिक्त भुगतान का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएवं उक्त मद में रू• 37,02,000/– के स्थान पर निर्माण विभाग के लिए पूर्व स्वीकृत रू• 32,02,000/– के अतिरिक्त सम्पत्ति कार्यालय के लिए रू• 50,000/– की अतिरिक्त धनराशि के साथ कुल रू• 37,52,000/– वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्माण विभाग के लिए रू• 32,02,000/– तथा सम्पत्ति कार्यालय के लिए रू• 5,50,000/– की उपलब्धता रहेगी।

(घ) संकायो के प्रासंगिक व्यय के लिए रू• 2,00,000/– का प्राविधान है। बी•एड शिक्षण प्रयोगाभ्यास का देयक रू• 95,000/– प्राप्त हुआ है। अतएवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए उक्त मद को रू• 2,95,000/– पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ङ•) कम्प्यूटर/फोटोकापियर क्रय एवं सम्बन्धित स्टेशनरी व्यय के लिए रू• 3,00,000/– का प्राविधान है। अद्यतन व्यय रू• 2,98,276/– हो चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू• 82,000/– का देयक भुगतान हेतु प्राप्त है। अतएवं उक्त मद को वर्तमान वित्तीय के लिए रू• 4,00,000/– पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय– (क) (ख) (ग) (घ) (ङ•) वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल बजटीय प्रावधान की सीमा के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार संस्तुति प्रदान की गयी।

(च) दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के निदेशक द्वारा प्रवेशार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का विवरण वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है जो निम्नवत् है –

1. प्रवेशार्थियों का प्रवेश आवेदन शुल्क रू• 500/– प्रति सेमेस्टर।
2. बी•वोक• कार्यक्रम का शिक्षण शुल्क रू• 3,000/– प्रति सेमेस्टर।
3. एम•वोक• कार्यक्रम का शिक्षण शुल्क रू• 5,000/– प्रति सेमेस्टर।
4. परीक्षा शुल्क रू• 1,000/– प्रति सेमेस्टर

उपरोक्त के अनुमोदन के साथ ही उपरोक्त प्रकार से प्राप्त होने वाले शुल्क का 40 प्रतिशत विश्वविद्यालय के विकास मद में स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है। पुनः निदेशक दीनदयाल कौशल केन्द्र ने शासन के पत्र संख्या 602/सत्तर–4–2015–1212/2014 दिनांक 15.07.2015 के अनुपालन में 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय के विकास मद में स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है।

निर्णय– प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार शुल्क का अनुमोदन किया गया तथा निदेशक के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के विकास मद में 20 प्रतिशत धनराशि स्थानान्तरित करने की संस्तुति की गयी।

कुलपति महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(ए० के० द्विवेदी)
वित्त अधिकारी / सदस्य सचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.03.2018 में की गयी संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।

कुलसचिवजी / माननीय कुलपति
कृपया अनुमोदनार्थ
5/4/18

6/4/18

06.04.18
VC

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी